UPSR010014892026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– सौरभ सक्सेना, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01753

अग्रिम जमानत आवेदन सं०–588/2026

सुशील कुमार यादव उर्फ मामा उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र आशाराम,
निवासी–दुर्गापुर नेवरिया, थाना सोनवां, जनपद श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ० प्र० **.....अभियोगी**

अ० सं०–164/2026
धारा–143(5), 61(2) बी०एन०एस० 2023
थाना–सिरसिया, जिला श्रावस्ती।

दिनांक 24.07.2026

निस्तारण अग्रिम जमानत आवेदन

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **सुशील कुमार यादव उर्फ मामा** की ओर से अपराध संख्या 164/2026, धारा 143(5), 61(2) बी०एन०एस०, थाना सिरसिया, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उ०नि० जी डी, टी० एच० नयोन सिंह ने प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारी थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती/चौकी राजपुर मोड़ को दिनांक 21.06.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 20.06.2026 को आसुचना शाखा, 62 वीं वाहिनी स.सी.ब. (भिनगा) से प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर डी समवाय सुईया एवं NGO देहात इण्डिया की संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। सूचना थी कि 02 भारतीय व्यक्ति 04 नेपाली लड़कियों को मानव तस्करी के उद्देश्य से मोटरसाइकिल द्वारा ले जा रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही स्पेशल संयुक्त नाका पार्टी द्वारा ग्राम गुलरा, थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती (उ०प्र०) के निकट सीमा स्तम्भ सं० 634/6 से लगभग 2.5 किमी भारत की ओर निगरानी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। लगभग 21.10 बजे 02 मोटरसाइकिलों पर सवार 02 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया, जिनके साथ 04 नेपाली लड़कियाँ पायी गयीं। प्रारम्भिक पूछताछ एवं सत्यापन के दौरान मानव तस्करी की आशंका पाये जाने पर चारों लड़कियों को दोनों लड़को से मुक्त कराया गया तथा दोनों व्यक्तियों को आवश्यक पूछताछ हेतु रोक लिया गया। कार्यवाही के दौरान 02 मोटरसाइकिल एवं 06 मोबाइल फोन बरामद किये गये। मुक्त करायी गयी 04 नेपाली लड़कियों के नाम दीपिका, अपेक्षा, दीक्षा और

सृष्टि है एवं पकड़े गये दो भारतीय व्यक्तियों के नाम रामकिशन और श्रवण कुमार यादव है। दो भारतीय व्यक्तियों तथा बरामद सामग्री वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती (उ०प्र०) के एस०एच०ओ० को सुपुर्द किया गया। अतः उसकी रिपोर्ट लिख करके आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। विपक्षीगण रामकिशन उर्फ ननकऊ व एक अन्य के विरूद्ध धारा 143(5) बी०एन०एस० में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई।

3– मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वास्तविक तथ्य यह है कि आवेदक/अभियुक्त नेवरिया मोड़ पर किराने की दुकान चलाता था। वहीं पर नेपाली लड़कियाँ भी किराये पर रहती थी और घरेलू सामान शपथी के यहाँ लेती रहती थी। पुलिस व एन०जी०ओ० वाले आए दिन शपथी से कहते थे कि तुम ही नेपाली लड़कियों को किराये पर कमरा दिलाए हो और इनको यहाँ रखे हो इसी बात को लेकर झड़प हुई थी। इसी वजह से प्रार्थी का एफ०आई०आर० में नाम न होने की बावजूद भी विवेचना में प्रकाश में नाम लाकर घटना में संलिप्त होना दिखा दिया है। सहअभियुक्तगण राम किशन उर्फ ननकऊ व श्रवण कुमार उर्फ रमेश की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० में पीड़िताओं द्वारा शपथी का नेपाल से भारत लाने में संलिप्तता नहीं बताई गई है तथा शपथी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा चार पीड़िताओं/छोटी बच्चियों की प्रलोभन, डरा–धमकाकर उनका यौन शोषण करने, खरीदने बेचने व मजदूरी करवाने के आशय से उनकी मानव तस्करी की जा रही थी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

6– धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निर्देश देता है तब वह उस विशिष्ट के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्ते, जो वह ठीक समझे,

सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैंः–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,

ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा,

iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

iv. ऐसी अन्य शर्ते जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेष के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरूबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्त की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमें के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694** की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्ता की भूमिका,
2. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,

3. अभियुक्त के मुकदमें के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,
4. अभियुक्त द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना,
5. अभियुक्त को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनों तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुधरी हो और अभियुक्त का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय का नहीं होना चाहिए,
9. अभियुक्त के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी संभावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए।

7– मुकदमा अपराध संख्या 164/2026, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डनीय है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अपराध की गम्भीरता एवं अपराध में आवदेक/अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सुशील कुमार यादव उर्फ मामा** की ओर से अ०सं० 164/2026, धारा 143(5), 61(2) बी०एन०एस० 2023, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(सौरभ सक्सेना)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 24.07.2026